राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2453/2011/चित्तौड़गढ़
अपील संख्या – 2454/2011/ चित्तौड़गढ़

1. मैसर्स शिवकुमार शर्मा,
   35/16 कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़
2. मैसर्स निसार अहमद,
   173, कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़

.....अपीलार्थीगण.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, चित्तौड़गढ़

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :23.08.2017

निर्णय

1. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 26.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–III, चितौड़गढ़ (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.03.2010 व 30.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी ठेकेदार द्वारा वर्ष 2007–08 कार्यादेश प्राप्त किया गया, जबकि यह ठेका कार्य उसके द्वारा बिना पंजीयन प्राप्त किये सम्पादित किये गये। तत्पश्चात दिनांक 27.11.2008 को बाध्यकारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वयं को 01.04.2007 से पंजीयन के लिये योग्य मानते हुये 01.04.2007 से पंजीयन प्राप्त किया गया है, चूंकि व्यवसायी का वर्ष 2007–08 का टर्नओवर धारा 3(1)(सी) की सीमा 5 लाख से अधिक है तथा एस कान्ट्रेक्टर नियम 12(2)(II) के अनुसार कान्ट्रेक्ट अवार्ड होने के 30 दिन के भीतर ई.सी. हेतु आवेदन करना आवश्यक है। अतः पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन देरी से प्रस्तुत करने एवं नियमानुसार धारा 11 के अनुसार पंजीयन नहीं कराने के कारण शास्ति आरोपित कर पंजीयन 01.04.2007 से जारी किया गया। व्यवसायी ने ई.सी. हेतु ओवदन दिया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी के अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनकों अस्वीकार करते हुए सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

लगातार.....2

व्यवसायी ने ई.सी. हेतु ओवदन दिया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी के अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी

के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनकों अस्वीकार करते हुए सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि व्यवसायी को आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये ई.सी. जारी नहीं किया गया है जबकि व्यवसायी को दिनांक 01.04.2008 को पंजीयन पुरानी दिनांक से जारी किया गया है और व्यवसायी ने WT-1 दिनांक 01.12.2008 को प्रस्तुत किया गया है। देरी से प्रस्तुत WT-1 के लिये 1000 रुपये शास्ति दिनांक 28.05.2008 एवं 17.01.2009 को जमा कराने के पश्चात भी ई.सी. जारी नहीं किया गया, इस कारण ई.सी. का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 के लिये 01.12.2008 को WT-1 प्रस्तुत किया गया, जो वर्क आर्डर की तिथि से काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया है। रेकार्ड पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यवसायी के देरी से प्रस्तुत WT-1 को नियमित करने हेतु शास्ति आरोपित की गई है और उसके बाद देरी को कन्डोन नहीं किया गया हो, उक्त अधिसूचना के अनुसार यहां राज्य सरकार द्वारा कर मुक्ति अधिसूचना एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अर्न्तगत उसके द्वारा पेश कर मुक्ति प्रमाण पत्र ठेका अवार्ड हाने के एक वर्ष बाद प्रस्तुत होने के कारण अस्वीकार किया गया उक्त अधिसूचना के क्लॉज 3 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी को देरी को माफ करने की शक्तियां प्रदान की गई है परन्तु पत्रावली की आदेशिका में ऐसी कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया है। उक्त क्लॉज में कर निर्धारण अधिकारी को देरी माफ करने के अधिकार स्वविवेक पर छोडा गया अर्थात् ***"May after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a late fee of rupees one thousand for a year or part thereof."*** उसके द्वारा राज्य सरकार ने करमुक्ति प्रमाण पत्र योजना

लगातार.....3

दिनांक 11.08.2006 में निम्न संशोधन दिनांक 09.03.2010 से किया है जो निम्न प्रकार है :– ***S.NO. 2599 : 12(22)FD/TAX/10-91, Dated 09-03-2010 In clause (3) of the said notification, for the existing "No such application shall be entertained after expiry of the year from the date of award of the contracts***

इस प्रकार ***Contract Award*** होने के 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया। व्यवसायी ने नियत समयावधि में ई.सी. हेतु आवेदन नहीं करने के कारण की गई कार्यवाही विधिक रुप से की गई है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार ई.सी. हेतु प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है।

अतः इन दोनों प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

23/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य